न्यायालय मुंसिफ, बनमनखी (पूर्णियाँ)

स्वत्व वाद संख्या– 110 /2012
सी. आई. एस. संख्या–110/2012

19.04.2023

उभयपक्षों की हाजरी दी गई। वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अभिलेख आज प्रतिवादी द्वारा दिनांक–08.02.2018 को दाखिल हस्ताक्षर विशेषज्ञ के प्रतिवेदन पर आपत्ति आवेदन एवं वादी द्वारा उक्त आवेदन के आलोक में दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 28.02.2018 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन एवं प्रतिउत्तर पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

आदेश

प्रतिवादी अपने आपति आवेदन दिनांक 08.02.2018 के माध्यम से कथन करते है कि प्रतिवादी सुनीता देवी के विवादित हस्ताक्षर एवं स्वीकृत हस्ताक्षर को शिवेन्द्र नाथ मिश्रा अंगुलांक एवं संदेहास्पद प्रलेख परीक्षक सिविल एवं दाण्डिक, दरभंगा को यह तुलना एवं विशेषज्ञ प्रतिवेदन देने के लिए भेजा गया था कि विवादित तथा स्वीकृत हस्ताक्षर एक ही व्यक्ति का है या नहीं। अंगुलांक विशेषज्ञ द्वारा दिनांक–15.10.2017 को अपना प्रतिवेदन दाखिल किया गया है। आगे कथन करते है कि शिवेन्द्र नाथ मिश्रा द्वारा दिया गया प्रतिवेदन कपटपूर्ण एवं बनावटी है और इसे साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। आगे कथन किये है कि यह प्राकृतिक सत्य है कि एक ही व्यक्ति यदि लंम्बे अंतराल के बाद हस्ताक्षर करता है तो उसमें कुछ न कुछ अंतर हो ही जाता है जो साधारणतया देखने से ज्ञात हो जाता है परन्तु दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार दोनों हस्ताक्षर में कोई भी अंतर किसी भी आधार या तरीके पर नहीं दिखलाया गया है जो संदेहास्पद है। आगे कथन किये है कि विवादित हस्ताक्षर वर्ष–2010 में किया गया था और स्वीकृत हस्ताक्षर वर्ष–2017 में किया गया है और सात साल के लम्बे अंतराल के बाद भी दोनों हस्ताक्षर में सभी वर्ण, लिखावट का ढग में, लेख समान रूप से उत्कीर्ण है जो अपने आप में संदेहास्पद है साथ ही विशेषज्ञ प्रतिवेदन भी कपटपूर्ण, मिथ्या और बनावटी है। अंत में कथन करते है कि उक्त प्रतिवेदन को अस्वीकृत करते हुए विवादित हस्ताक्षर एवं स्वीकृत हस्ताक्षर को पुनः किसी अन्य राष्ट्रीय कीर्ति के विशेषज्ञ के पास जॉच एवं प्रतिवेदन हेतु न्यायहित में भेजने की कृपा की जाय।

उक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक– 28.02.2018 को माध्यम से कथन करते है कि न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का हस्ताक्षर समपुष्टी के लिए विवादित एवं स्वीकृत हस्ताक्षर को विशेषज्ञ अंगुलांक एवं सदेहास्पद प्रलेख परीक्षक दरभंगा के पास भेजा गया था। आगे कथन करते है कि उक्त विशेषज्ञ के द्वारा अपना प्रतिवेदन इस राय के साथ की विवादित एवं स्वीकृत हस्ताक्षर दोनों हुवहु मिलते है तथा दोनों हस्ताक्षर उसी व्यक्ति सुनिता देवी (प्रतिवादी) का है। प्रतिवादी के विद्वान अधियक्ता द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर यह कहकर, कि उक्त प्रतिवेदन कपटपूर्वक तैयार किया गया है, आपत्ति किया गया है। अंत में कथन किये है कि प्रतिवादी का यह आपत्ति आधार हीन, तुच्छ एवं विना किसी मेरिट के है और सिर्फ वाद को लम्बा खीचने एवं वादी को परेशान करने के लिए दाखिल किया गया है इसलिए इसे खर्च के साथ खारिज करने की कृपा की जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से अवलोकित होता है कि यह वाद वादी ने प्रतिवादी द्वारा दिनांक–09.03.2010 को निष्पादित जरब्याना विलेख के आधार पर संविदा विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए दिनांक–12.12.2012 को दायर किया गया। प्रतिवादी अपने लिखित कथन द्वारा यह कथन करते है कि प्रतिवादी ने वादी से न तो जमीन बेचने की बात की है और न ही बयाना लेकर दिनांक–09.03.2010 को जरब्याना विलेख (Deed of Zerbeyana) निष्पादित किया है। इस वाद में प्रतिवादी का साक्ष्य प्रतिवादी साक्षी संख्या 5 के रूप में दिनांक–14.09.2016 को हुआ है। अपना साक्ष्य के दौरान भी कथन करती है कि मैने दिनांक–09.03.2010 को कोई एकरारनामा निष्पादित नहीं किया है साथ ही यह भी कथन करती है कि दिनांक–09.03.2010 को मैं एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के बैठक मे उपस्थित थी। तत्पश्चात् दिनांक–16.09.2016 का प्रतिवादी साक्ष्य बंद हुआ एवं उसी दिन दिनांक–16.09.2016 को वादी द्वारा विवादित जरब्याना विलेख पर प्रतिवादी के

TS 119/2012

09.04.23

हस्ताक्षर के जॉच हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादी द्वारा दिनांक– को दाखिल किया गया। आदेश फलक के आदेश दिनांक–26.10.2016 के द्वारा विवादित एकरारनामा पर के हस्ताक्षर का मिलान हेतु जॉच विशेपज्ञ के पास भेजने का आदेश हुआ और तत्पश्चात् इसे अंगुल संदेहास्पद प्रलेख परीक्षक शिवेन्द्र नाथ मिश्रा के यहॉ भेजा गया। दिनांक–13.12.2017 को उक्त विशेपज्ञ प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। दिनांक–08.02.2018 को प्रतिवादी द्वारा इस प्राप्त विशेपज्ञ प्रतिवेदन पर आपत्ति दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर वादी द्वारा दिनांक–28.02.2018 को दाखिल किया गया। जिसके पश्चात् अभिलेख को उक्त आपत्ति आवेदन दिनांक–08.02.2018 पर सुनवाई हेतु नियत किया गया। सुनवाई लंबित रहने के दौरान ही दिनांक–09.12.2019 को वादी साक्षी सं0– 8 के रूप में शिवेन्द्र नाथ मिश्रा का विशेपज्ञ के रूप में उक्त प्रतिवेदन पर परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कर मुक्त किया गया। प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रतिवेदन को बनावटी कपटपूर्ण बताते हुए पुनः किसी विशेषज्ञ के पास जॉच हेतु भेजने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त को देखते हुए विवादित जरब्याना विलेख (Deed of Zerbeyana) दिनांक–09.03.2010 पर तथाकथित प्रतिवादी का हस्ताक्षर को जॉच कराना वाद के त्वरीत, पूर्ण निष्पादन एवं न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी का आपत्ति आवेदन (पुनः हस्ताक्षर जॉच का आवेदन) दिनांक–08.02.2018 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी का स्वीकृत हस्ताक्षर जो न्यायालय में उभय पक्षों के समक्ष दिनांक–08.06.2017 को लिया गया है और विवादित जरब्याना विलेख दिनांक–09.03.2010 के मूल प्रति पर प्रतिवादी सुनीता देवी के हस्ताक्षर जॉच हेतु निदेशक पुलिस प्रयोगशाला सरदार पटेल भवन A- ब्लॉक 626 बेली रोड, पटना–23 को सीलबंद लिफाफे में निबंधित डाक से भेजे।

प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि मो0–2000/– रूपया बिहार पुलिस मद शीर्ष–0055008000001 में चालान के माध्यम से जमा करे, साथ ही निबंधित डाक से भेजने का व्यय भी प्रतिवादी ही देगें।

वाद दिनांक–11.05.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

मुंसिफ

बनमनखी